Drishti IAS

करेंट अफेयर्स हरियाणा

सितम्बर 2024

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा **3**

➢ चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव स्थगित किया 3

➢ हरित घोषणा-पत्र, 2024 3

➢ हरियाणा-पंजाब कृषि विचलन 5

➢ गंभीर रूप से संकटग्रस्त एलोंगेटेड कछुआ अरावली में देखा गया 6

➢ हरियाणा में बेरोज़गारी का संकट 7

➢ नूहं ज़िले में नए बूचड़खानों की मंज़ूरी पर आक्रोश 8

➢ हरियाणा में बढ़ती ड्रग की समस्या 8

➢ डायमंड लीग 9

➢ हरियाणा विधानसभा भंग 10

➢ हरियाणा में किसान फैक्टर 11

➢ हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 12

➢ हरियाणा विधानसभा में महिलाएँ 13

➢ भारत निर्वाचन आयोग 13

➢ हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएँ 15

➢ 36 बिरादरी 16

➢ हरियाणा चुनावों से पहले डेरा प्रमुख ने पैरोल की मांग की 17

➢ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कमी 18

दृष्टि The Vision

नोट :

हरियाणा

चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव स्थगित किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 31 अगस्त, 2024 को भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिये मतदान की तारीख को 1 अक्तूबर से बढ़ाकर 5 अक्तूबर कर दिया।

मुख्य बिंदु:

- **तारीख परिवर्तन का निर्णय: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) ने हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिये** मतदान की तारीख 1 अक्तूबर से बढ़ाकर 5 अक्तूबर, 2024 कर दी है और **जम्मू-कश्मीर और हरियाणा दोनों विधानसभाओं** के लिये मतगणना की तारीख **4 अक्तूबर से बढ़ाकर 8 अक्तूबर** कर दी है।
- **परिवर्तन का कारण:** बिश्नोई समुदाय के **आसोज अमावस्या उत्सव** को ध्यान में रखते हुए तारीख में संशोधन किया गया, ताकि उन्हें उत्सव में भाग लेने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति मिल सके।
  - **आसोज अमावस्या** मुख्य रूप से बिश्नोई समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्त्वपूर्ण त्योहार है। इसमें उनके **गुरु जम्भेश्वर** की याद शामिल है और यह प्रतिवर्ष आसोज महीने के दौरान मनाया जाता है।
- **सामुदायिक प्रतिनिधित्व:** यह निर्णय **अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा** के प्रतिनिधित्व के बाद लिया गया, जिसमें बिश्नोई परिवारों द्वारा अपने वार्षिक उत्सव के लिये राजस्थान की यात्रा करने की परंपरा पर प्रकाश डाला गया, जो मूल मतदान तारीख यानी 2 अक्तूबर के साथ मेल खाता है।

हरित घोषणा-पत्र, 2024

चर्चा में क्यों

हाल ही में **पीपुल फॉर अरावली** समूह ने राज्य में बढ़ते पर्यावरणीय संकट के जवाब में '**हरियाणा हरित घोषण-पत्र 2024 (हरियाणा ग्रीन मेनिफेस्टो)**' के विकास की पहल की।

मुख्य बिंदु

- **ग्रीन मेनिफेस्टो:** यह दस्तावेज़ एक अद्वितीय भागीदारी अभ्यास के बाद तैयार किया गया था, जिसमें विधानसभा चुनावों से पहले हरियाणा के **17 ज़िलों के ग्रामीण और शहरी हितधारकों** से इनपुट एकत्र किये गए थे।
  - पारिस्थितिकी, कृषि, शहरी नियोजन और टिकाऊ वास्तुकला के विशेषज्ञों ने हरियाणा के लिये हरित दृष्टिकोण को आकार देने में योगदान दिया।
- **हरित घोषणा-पत्र में प्रमुख मांगे:**
  - विनाशकारी गतिविधियों और वाणिज्यिक परियोजनाओं पर रोक लगाने के लिये **अरावली तथा शिवालिक** को कानूनी रूप से "critical ecological zones अर्थात् महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र" के रूप में नामित किया जाना चाहिये।
  - शेष पहाड़ियों को संरक्षित करने के लिये **वैकल्पिक निर्माण सामग्री** के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिये।

नोट :

- **महेंद्रगढ़ ज़िले** को **"पहाड़ी डार्क ज़ोन"** घोषित किया जाए तथा भूजल स्तर (1,500-2,000 फीट) के अत्यधिक निम्न स्तर के कारण सभी **खनन और पत्थर-तोड़ने के कार्य** बंद किये जाने चाहिये।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में **खनन** को **वैध बनाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय** में राज्य की अपील वापस ली जाए।
- **पाली के बंधवाड़ी और पुराने सोहना-अलवर रोड पर ITI कॉलोनी के पास** लैंडफिल हटाए जाए।
- **नूह ज़िले** के **भिवाड़ी, खोरी खुर्द और अन्य गाँवों** में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट के अवैध डंपिंग तथा जलाने पर रोक लगाई जाए।
- जिन ग्रामीणों की भूमि इन गतिविधियों से प्रभावित हुई है, उन्हें मुआवज़ा और **गुणवत्तापूर्ण कृषि भूमि** उपलब्ध कराएं।

वन संरक्षण की मांग:

- **पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (PLPA), 1900** के अंतर्गत गैर-अधिसूचित वनों को **"Deemed Forests अर्थात् मान्य वन"** के रूप में **शामिल करके सभी वनों** को कानूनी संरक्षण प्रदान करना।
- **दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994** के समान **हरियाणा** के लिये भी **वृक्ष अधिनियम** बनाया जाए।
- सभी **खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों (Open Natural Ecosystems- ONE)** को, जैसे कि **फतेहाबाद ज़िले** में **काले हिरणों** के **प्राकृतिक आवास** को, संरक्षण या सामुदायिक रिज़र्व घोषित किया जाए।
- **हरियाणा के वन (ONE)** को **भारत के बंजर भूमि एटलस** से हटाया जाए, जिसमें इन पारिस्थितिकी प्रणालियों को कृषि या औद्योगिक उपयोग के लिये **'अनुत्पादक'** भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **चार वर्षों के भीतर हरियाणा के वन एवं वृक्ष आवरण को 10%** तक बढ़ाने के लिये कार्य योजना लागू करना।
- **लेसोड़ा, खेजड़ी, इंद्रोक और जाल** जैसी **हरियाणा की पारंपरिक वृक्ष प्रजातियों** को पुनः लागू करना तथा जैवविविधता से भरपूर स्थानों के निर्माण हेतु पारिस्थितिकीय रूप से सही तरीके से देशी वृक्षारोपण (ऊँचे वृक्ष, भूमिगत वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएँ, घास) को बढ़ावा देना।

खाद्य सुरक्षा की मांग:

- जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की प्रमुख रणनीति के रूप में **फसल विविधीकरण** को बढ़ावा देना।
- केंद्र द्वारा घोषित **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** पर किसानों द्वारा उगाई गई **प्रत्येक फसल की गारंटीकृत खरीद** सुनिश्चित करना।
- मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाने वाली **नेचुरल फार्मिंग (Natural Farming)** पद्धतियों को प्रोत्साहित करना।
- **पिछले 15 वर्षों** से कुछ गाँवों में किसानों को शिक्षित करने वाले **'कीट पाठशालाओं' (कीट विद्यालयों)** को **सभी ज़िलों** में विस्तारित करना। ये विद्यालय शाकाहारी और मांसाहारी कीटों के बीच संतुलन सिखाते हैं, जिससे कीटनाशकों के छिड़काव की ज़रूरत कम हो जाती है।

अरावली पर्वत श्रृंखला

- अरावली पृथ्वी पर **सबसे पुराना** मोड़दार पर्वत है।
- यह **गुजरात से दिल्ली** (राजस्थान और हरियाणा से होकर) **तक 800 किलोमीटर** से अधिक विस्तृत है।
- अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी **माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर** है।

जलवायु पर प्रभाव:

- अरावली पर्वतमाला उत्तर-पश्चिम भारत और उससे आगे की जलवायु पर प्रभाव डालती है।
- मानसून के दौरान, पर्वत श्रृंखला मानसून के बादलों को शिमला और नैनीताल की ओर पूर्व की ओर ले जाती है, जिससे उप-हिमालयी नदियों को पोषण मिलता है तथा उत्तर भारतीय मैदानों को पोषण मिलता है।
- सर्दियों के महीनों में यह उपजाऊ जलोढ़ नदी घाटियों (पैरा-सिंधु और गंगा) को मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पश्चिमी पवनों के आक्रमण से बचाती है।

नोट :

हरियाणा-पंजाब कृषि विचलन

चर्चा में क्यों?

हरियाणा की कृषि अपनी **फसल विविधीकरण** के कारण पंजाब से अलग है, जबकि पंजाब में **चावल-गेहूँ की एकल कृषि** पर्यावरणीय और वित्तीय दृष्टि से सतत् नहीं है।

प्रमुख बिंदु:

- **पंजाब:**
  - **एकल कृषि फसल:** पंजाब की कृषि की विशेषता **चावल-गेहूँ की एकरूपता** है, जहाँ किसान **क्रमश: खरीफ (मानसून) तथा रबी (सर्दी-वसंत) मौसम के दौरान केवल इन दो फसलों को उगाते हैं।**
    - चावल की कृषि का क्षेत्रफल 2014-15 में 28.9 लाख हेक्टेयर (एलएच) से बढ़कर 2023-24 में 31.9 लाख हेक्टेयर हो गया।
  - **उत्पादन रैंकिंग:** पंजाब भारत में गेहूँ और चावल दोनों के उत्पादन में **तीसरे स्थान** पर है।
    - भारत में गेहूँ उत्पादन में आठ प्रमुख राज्य शामिल हैं, जबकि चावल उत्पादन में 16 राज्य शामिल हैं।
  - **जल एवं पर्यावरण संबंधी मुद्दे:** चावल एक **जल-गहन फसल** है और इसे लगभग 25 बार सिंचाईयों की आवश्यकता होती है, जबकि गेहूँ को केवल 4-5 बार की सिंचाईयों की आवश्यकता होती है।
    - अत्यधिक चावल उत्पादन से **भूजल स्तर में कमी** आती है तथा **अनाज की खरीद और भंडारण की राजकोषीय लागत बढ़ जाती है।**
- **हरियाणा:**
  - **न्यूनतम एकल कृषि:** हरियाणा में पंजाब की तुलना में अधिक विविध फसल पद्धति है, जिसमें चावल-गेहूँ की एकल कृषि से परहेज़ किया जाता है।
    - **खरीफ मौसम:** इसमें **चावल, कपास, बाजरा और ग्वार** शामिल हैं।
    - **रबी मौसम:** इसमें गेहूँ, सरसों, चना और सूरजमुखी शामिल हैं।
  - **चावल की किस्में:** हरियाणा में **बासमती चावल** क्षेत्र का 56.2% हिस्सा है (2019-20 से 2023-24)।
    - बासमती चावल **गैर-बासमती किस्मों की तुलना में कम जल की खपत करता है।**
    - बासमती की कृषि जुलाई में की जाती है, जिससे मानसून और ठंडे तापमान का लाभ मिलता है तथा इसकी खुशबू बढ़ जाती है।
  - **नहर नेटवर्क: 1,594 चैनलों** का विस्तृत नहर नेटवर्क, **14,814 किमी. लंबा है।**
    - यह हरियाणा के पूर्वोत्तर, मध्य और उत्तर-पश्चिमी ज़िलों को **सिंचित** करता है।
    - दक्षिणी ज़िलों (चरखी दादरी, झज्जर आदि) में सिंचाई की सुविधा सीमित है।
  - **फसल वितरण:**
    - **दक्षिणी हरियाणा:** किसान आमतौर पर खरीफ में **बाजरा, ग्वार** और **ज्वार** तथा रबी में गेहूँ, सरसों, चना एवं **जौ** उगाते हैं।
  - **चुनौतियाँ:**
    - **चावल का क्षेत्रफल बढ़ा: वर्ष** 2024 में चावल की कृषि का रिकॉर्ड स्तर, 16.4 लाख हेक्टेयर में रोपण।
    - इस वृद्धि के कारण **कपास की कृषि** के क्षेत्रफल में कमी आई है (4.8 लाख हेक्टेयर)।
  - कम कीमतों और **पिंक बॉलवर्म कीट के हमलों** के कारण 2023 में कपास का रकबा 6.7 लाख हेक्टेयर से कम हो जाएगा।
  - **विविधीकरण प्रयास: फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने** के लिये **भावांतर भरपाई योजना (BBY)** के तहत प्रयास।
    - **बाजरा, सरसों, सूरजमुखी और अन्य फसलों** के लिये **MSP** खरीद एवं मूल्य कमी भुगतान।

नोट :

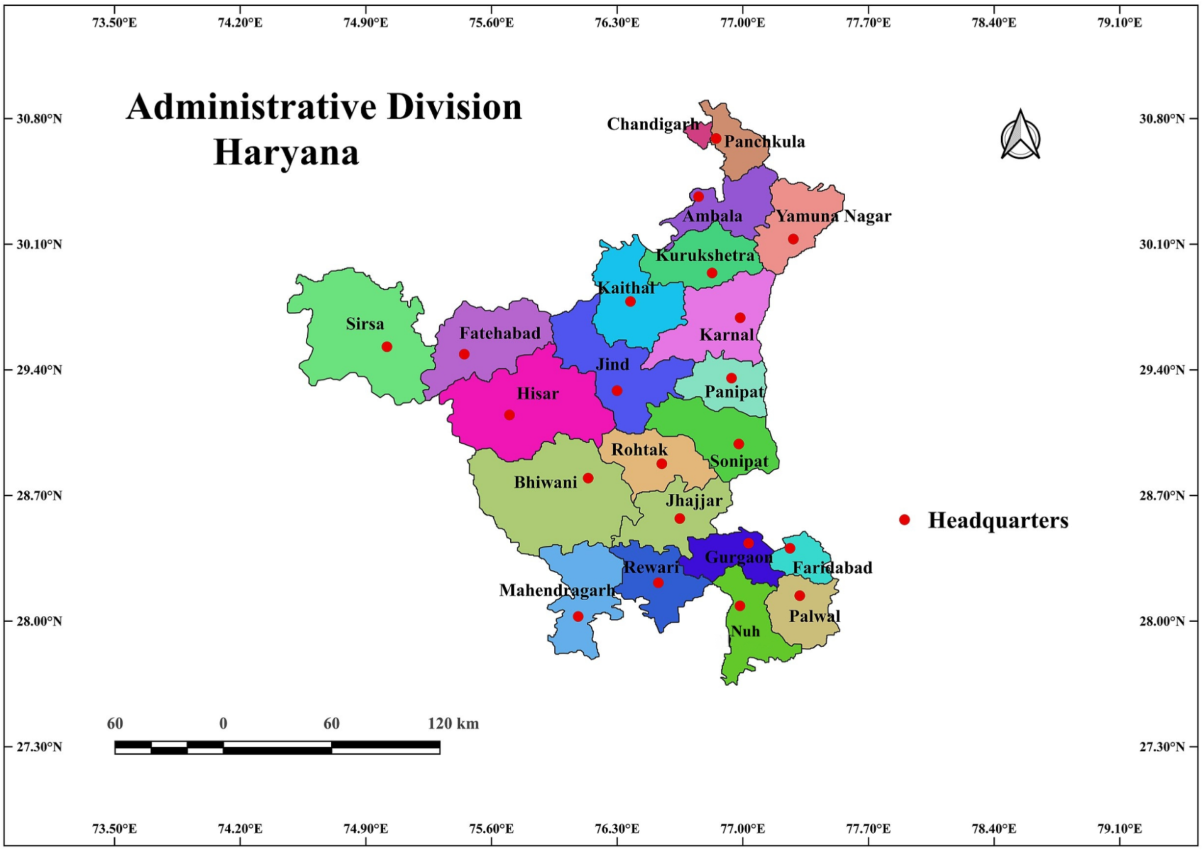

गंभीर रूप से संकटग्रस्त एलोंगेटेड कछुआ अरावली में देखा गया

चर्चा में क्यों

हाल ही में **गंभीर रूप से संकटग्रस्त लंबे आकार का कछुआ** पहली बार **अरावली** में देखा गया।

मुख्य बिंदु

- **एलोंगेटेड कछुआ:** प्रत्येक कछुए के **बीच में स्पष्ट काले धब्बों** के साथ **पीले-भूरे या जैतून के रंग के कवच** से युक्त यह कछुआ **हरियाणा के दमदमा क्षेत्र** में पाया गया।
  - प्रजनन काल के दौरान, परिपक्व कछुओं के नथुनों और आँखों के चारों ओर गुलाबी रंग का घेरा विकसित हो जाता है।
- **पर्यावास और वितरण: एलोंगेटेड कछुआ साल पर्णपाती** तथा **पहाड़ी सदाबहार वनों** में पाया जाता है।
  - इसका वितरण क्षेत्र **दक्षिण-पूर्व एशिया** में विस्तारित है, जो उत्तर में **भारत, नेपाल, भूटान** और पश्चिम में **बांग्लादेश** से लेकर **म्याँमार, थाईलैंड, इंडोचीन, उत्तर में चीन के** गुआंग्शी प्रांत **एवं दक्षिण में प्रायद्वीपीय मलेशिया** तक विस्तृत है।
  - पूर्वी भारत के **छोटा नागपुर पठार** में एक विच्छिन्न संख्या उपस्थित है।
  - यह समुद्र तल से 1,000 मीटर ऊपर की निचली भूमि और तलहटी में भी निवास करता है।
  - **अरावली में कछुए की उपस्थिति** एक **असामान्य** बात है, क्योंकि यह आमतौर पर **हिमालय** की **तराई और आर्द्र क्षेत्रों** में पाया जाता है।

- **संरक्षण स्थिति: वर्ष 2018 में मूल्यांकित अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट** के अनुसार एलोंगेटेड कछुए गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं।
  - इस प्रजाति का अत्यधिक शोषण खाद्य और पारंपरिक चिकित्सा के लिये किया जाता है, जिसमें अवसरवादी तथा जानबूझकर किया गया शिकार शामिल है, साथ ही कछुओं को खोजने के लिये कुत्तों का उपयोग किया जाता है।

अरावली

- अरावली पर्वतमाला **गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली** तक विस्तृत है, इसकी लंबाई 692 किमी. तथा चौड़ाई **10 से 120 किमी.** के बीच है।
  - यह पर्वतमाला एक नेचुरल ग्रीन वॉल के रूप में कार्य करती है, जिसका 80% भाग राजस्थान में तथा 20% हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में स्थित है।
- अरावली पर्वतमाला **दो मुख्य श्रेणियों** में विभाजित है- **सांभर सिरोही श्रेणी और राजस्थान में सांभर खेतड़ी श्रेणी,** जहाँ इनका विस्तार लगभग 560 किलोमीटर है।
- यह **थार मरुस्थल** और **गंगा के मैदान** के बीच एक **इकोटोन** के रूप में कार्य करता है।
  - इकोटोन वे क्षेत्र हैं जहाँ दो या अधिक पारिस्थितिक तंत्र, जैविक समुदाय अथवा जैविक क्षेत्र मिलते हैं।
- इस पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी **गुरुशिखर (राजस्थान)** है, जिसकी ऊँचाई 1,722 मीटर है।

हरियाणा में बेरोज़गारी का संकट

चर्चा में क्यों

केंद्र सरकार के **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey- PLFS)** में दर्शाई गई हरियाणा में उच्च बेरोज़गारी दर, राज्य में आगामी चुनावों के मद्देनजर एक केंद्र बिंदु बन गई है

मुख्य बिंदु

- **बेरोज़गारी दर के रुझान:**
  - जनवरी-मार्च 2024 के लिये PLFS से पता चलता है कि 15 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिये शहरी बेरोज़गारी **वर्ष 2023 में 8.8%** से घटकर **4.1% हो गई है** और अब यह राष्ट्रीय औसत **6.7%** से नीचे है।
  - इसकी तुलना वर्ष 2021-22 के वार्षिक PLFS परिणामों से करें, जहाँ हरियाणा की बेरोज़गारी दर **9% थी, जो राष्ट्रीय दर 4.1% से दोगुनी से भी अधिक थी।**
    - पूर्व वर्षों में उच्च **बेरोज़गारी** का कारण कोविड के बाद वैश्विक आर्थिक मंदी थी, जिसने आतिथ्य और विमानन जैसे क्षेत्रों को प्रभावित किया था।
- **युवा प्रवास में वृद्धि:**
  - स्थानीय स्तर पर रोज़गार की संभावनाओं की कमी के कारण बेहतर अवसरों की तलाश में हरियाणा के युवाओं का पलायन बढ़ रहा है।
  - सरकारी नौकरियाँ अभी भी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई हैं, लेकिन अपर्याप्त नियुक्तियों के कारण प्रवासन में वृद्धि हुई है।
  - **कुशल कार्यबल** की मांग अभी भी उच्च बनी हुई है, लेकिन सरकारी कौशल विकास कार्यक्रमों की आलोचना इस बात के लिये की जाती है कि वे उद्योग जगत की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते।
    - इसके तहत कौशल प्रशिक्षण हेतु उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ऋण सुविधाओं के लिये **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises- MSME)** को कृषि क्षेत्र के समान महत्त्व देने की आवश्यकता है।
- **सरकारी पहल:**
  - वर्ष 2024 में लगभग 30,000 नियमित सरकारी नौकरियों हेतु आवेदन लिये जाएंगे तथा 5 अक्तूबर 2024 को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 50,000 पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है।

नोट :

- विभिन्न भूमिकाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से **गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line- BPL)** परिवारों के युवाओं को रोज़गार के लिये " **मिशन 60,000** " की घोषणा की गई।

- **नई परियोजनाएँ:**
  - **खरखौदा** में प्रस्तावित मारुति सुज़ुकी और सुज़ुकी मोटरसाइकिल संयंत्र से लगभग 15,000 प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है।
  - सरकार औद्योगिक परियोजनाओं और बुनियादी ढाँचे के विकास के माध्यम से रोज़गार सृजन पर ज़ोर दे रही है।

नूहं ज़िले में नए बूचड़खानों की मंज़ूरी पर आक्रोश

चर्चा में क्यों

हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा **नूंह ज़िले** में **21 अतिरिक्त बूचड़खानों को मंज़ूरी देने के निर्णय** से स्थानीय निवासियों में विरोध भड़क उठा है, जिसके कारण उन्हें पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को लेकर **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है।**

मुख्य बिंदु

- **पर्यावरणीय चिंता:**
  - NGT ने **हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** और **केंद्रीय भूजल प्राधिकरण** को वायु, जल एवं मृदा में प्रदूषण के आरोपों पर उत्तर देने के लिये नोटिस जारी किया है।
  - निवासियों का आरोप है कि मौजूदा बूचड़खाने **प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करते हैं** , जिससे स्थानीय पर्यावरण का क्षरण होता है।
- **स्वास्थ्य संबंधी जोखिम:**
  - स्थानीय कार्यकर्त्ताओं की रिपोर्ट है कि इन बूचड़खानों के आस-पास के गाँवों में स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और **बूचड़खानों से निकलने वाले खून से खेत दूषित हो रहे हैं।**
  - कथित तौर पर अपशिष्ट को मृदा और **जल धाराओं** में डाला जा रहा है, जिससे असहनीय बदबू एवं स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।
  - स्थानीय लोगों का कहना है कि नीतियों में विरोधाभास है, **उत्तर प्रदेश** बूचड़खानों को बंद कर रहा है, जबकि **हरियाणा नूंह में बूचड़खानों का विस्तार कर रहा है** ।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)

- यह पर्यावरण संरक्षण तथा वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी तथा शीघ्र निपटान हेतु **राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम (2010)** के तहत स्थापित एक विशेष निकाय है ।
- NGT की स्थापना के साथ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाद भारत विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का **तीसरा विकासशील देश बन गया है।**
- **NGT को आवेदनों या अपीलों का अंतिम रूप से निपटान दाखिल होने के 6 महीने के** भीतर करना अनिवार्य है ।
- NGT के पाँच बैठक स्थान हैं, **नई दिल्ली** इसकी मुख्य बैठक स्थान है तथा **भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई अन्य चार स्थान हैं** ।

हरियाणा में बढ़ती ड्रग की समस्या

चर्चा में क्यों

हाल ही में हरियाणा के अधिकारियों ने चुनाव की घोषणा के बाद से 14 करोड़ रुपए मूल्य की **ड्रग्स** और शराब ज़ब्त की, जिससे राज्य में **ड्रग से संबंधित मुद्दों** पर चल रही चिंता उजागर हुई।

नोट :

मुख्य बिंदु

- हरियाणा पुलिस ने दिसंबर 2023 तक **नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS), 1985** के तहत 3,757 **FIR** दर्ज कीं और 5,350 लोगों को गिरफ्तार किया।
  - इस ज़ब्ती में **590 किलोग्राम चरस**, **4,950 किलोग्राम गाँजा**, **34 किलोग्राम हेरोइन**, **310 किलोग्राम अफीम** और **33,602 किलोग्राम चूरा पोस्त शामिल है**, जिसमें **सिरसा** मामलों तथा गिरफ्तारियों (582 मामले, 766 गिरफ्तारियाँ) में अग्रणी है।
- **हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो** के अनुसार, **ड्रग मामलों में हरियाणा के शीर्ष 10 ज़िले (1 जनवरी से 8 दिसंबर, 2023)** सिरसा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, अंबाला, यमुनानगर, हिसार, रोहतक, पंचकूला हैं
- **ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास अनुसंधान केंद्र** तथा **भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद** द्वारा किये गए अध्ययनों में ड्रग्स की समस्या को **युवाओं की बेरोज़गारी और हताशा से जोड़ा गया है।**
- **हरियाणा में बेरोजगारी दर :**
  - **बेरोज़गारी दर** श्रम बल में बेरोज़गार व्यक्तियों का प्रतिशत है।
  - **वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) दृष्टिकोण** के आधार पर, किसी व्यक्ति को बेरोज़गार माना जाता है यदि उसने संदर्भ सप्ताह के दौरान एक घंटे भी काम नहीं किया हो, लेकिन कम-से-कम एक घंटे के लिये काम के लिये उपलब्ध था या काम की मांग की थी।
  - **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) अप्रैल-जून 2024 रिपोर्ट** के अनुसार, **15-29 आयु वर्ग** के लिये शहरी बेरोज़गारी दर अप्रैल-जून 2024 तिमाही में बढ़कर 11.2% हो गई, जो **जनवरी-मार्च 2024 तिमाही में 9.5% थी।**
  - **शहरी क्षेत्रों में 15-29 आयु वर्ग** की महिलाओं के लिये बेरोज़गारी दर अप्रैल-जून में बढ़कर **17.2% हो गई, जबकि** पिछली तिमाही में यह **13.9% थी ।**
- **हरियाणा का हृदय परिवर्तन अभियान**
  - **इस अभियान का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी** के माध्यम से ड्रग्स के त्याग को प्रोत्साहित करके **ड्रग्स के आदी लोगों और तस्करों के व्यवहार में परिवर्तन** लाना है।
  - जिन ड्रग्स विक्रेता की पहचान की गई है उन्हें उपभोक्ता **गाँव के बुज़ुर्गों,** समुदाय और एक पंडित के समक्ष पेश किया जाएगा।
    - उन्हें उनके जीवन, परिवार और समुदाय पर **ड्रग्स के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित किया जाएगा।**
    - एक बर्तन में नमक डालने की प्रतीकात्मक क्रिया से संबंधित एक समारोह ड्रग्स के त्याग का प्रतीक होगा। **'नमक-लोटा अभियान' (बुज़ुर्गों के सामने ड्रग्स से दूर रहने की शपथ)**
    - प्रतिभागी भगवान एवं गाँव के समुदाय के समक्ष नशा छोड़ने की शपथ लेंगे।
  - **गरीबी के कारण** फेरीवालों को **गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले** लोगों के लिये बनाई गई **सरकारी योजनाओं** के बारे में जागरूक किया जाएगा ताकि उन्हें वैकल्पिक आजीविका प्रदान की जा सके।
- **हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (HSNCB) ने 'चक्रव्यूह: द एस्केप रूम'** नामक एक अग्रणी परियोजना शुरू की है जिसका उद्देश्य किशोरों को **मादक पदार्थों की लत से दूर रखना है।**

डायमंड लीग

चर्चा में क्यों

हाल ही में नीरज चोपड़ा, **वर्ष 2024 डायमंड लीग फाइनल** में दूसरे स्थान पर रहे, वह केवल 1 सेंटीमीटर से शीर्ष स्थान से चूक गए

प्रमुख बिंदु

- नीरज चोपड़ा ने **87.86 मीटर** थ्रो किया और **ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स** से दूसरे स्थान पर रहे जिन्होंने **87.87 मीटर** थ्रो किया।
- चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो उनके तीसरे प्रयास में आया, जबकि पीटर्स का विजयी थ्रो उनके पहले प्रयास में ही प्राप्त हो गया।

नोट :

- वर्ष **2022 में ट्रॉफी** जीतने के बाद, यह चोपड़ा का **डायमंड लीग फाइनल** में लगातार दूसरा उपविजेता स्थान था।
- उन्होंने पूरे सीज़न में लगातार शीर्ष दो स्थान पर रहने का सिलसिला कायम रखा।

डायमंड

- **डायमंड लीग** **विश्व एथलेटिक्स** द्वारा आयोजित आउटडोर ट्रैक और फील्ड मीटिंग की एक वार्षिक शृंखला है, जिसकी **स्थापना वर्ष 2010** में हुई थी।
- इसमें **32 डायमंड डिसिप्लिन कार्यक्रम** शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक बैठक में इनमें से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।
  - **डायमंड लीग के 32 विषय इस प्रकार हैं**
    - **पुरुष:** 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर/मील, 3000 मीटर/5000 मीटर, 3000 मीटर SC (स्टीपलचेज़), 110 मीटर बाधा दौड़, 400 मीटर बाधा दौड़, ऊँची कूद, पोल वॉल्ट, लंबी कूद, ट्रिपल जंप, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो
    - **महिलाएँ:** 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर/मील, 3000 मीटर/5000 मीटर, 3000 मीटर SC (स्टीपलचेज़), 100 मीटर बाधा दौड़, 400 मीटर बाधा दौड़, ऊँची कूद, पोल वॉल्ट, लंबी कूद, ट्रिपल जंप, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो।
- **डायमंड डिसिप्लिन का दर्जा** खोने वाली कुछ प्रतियोगिताओं को **विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर** में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिताओं का दूसरा स्तर है।
- वर्ष 2024 डायमंड लीग का फाइनल 13 और 14 सितंबर को ब्रुसेल्स, बेल्जियम में संपन्न हुआ।

हरियाणा विधानसभा भंग

चर्चा में क्यों

हाल ही में 6 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से सत्र बुलाने के संभावित **संवैधानिक मुद्दे** को रोकने के लिये चुनाव से पहले हरियाणा विधानसभा को **भंग** कर दिया गया था।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा विधानसभा को **मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद** की सिफारिश पर संविधान के **अनुच्छेद 174(2)(b)** के तहत **राज्यपाल** द्वारा भंग कर दिया गया था।
  - संविधान का **अनुच्छेद 174(2)(b) राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह** पर विधानसभा को भंग करने की शक्ति देता है। हालाँकि राज्यपाल तब अपना विवेक इस्तेमाल कर सकते हैं जब सलाह किसी ऐसे मुख्यमंत्री की ओर से आए जिसका बहुमत संदेह में हो।
    - संविधान का **अनुच्छेद 174 राज्यपाल को राज्य विधानसभा को बुलाने, भंग करने और सत्रावसान करने** का अधिकार देता है।
- **विघटन का उद्देश्य अंतिम विधानसभा बैठक,** जो 13 मार्च, 2024 को हुई थी , **के छह महीने के भीतर सत्र बुलाने की आवश्यकता** को रोकना था, जिसका सत्र 12 सितंबर, 2024 तक होना था।
- **अनुच्छेद 174(1):** राज्यपाल समय-समय पर **राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन** को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशित होने के लिये बुलाएगा, जैसा वह ठीक समझे, किंतु एक सत्र में उसकी अंतिम बैठक और अगले सत्र में उसकी प्रथम बैठक के लिये नियत तिथि के बीच **छह माह का अंतर** नहीं होगा।

नोट :

राज्यपाल

- **अनुच्छेद 153** के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को **दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल** नियुक्त किया जा सकता है।
  - राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह केंद्र सरकार का नामित व्यक्ति होता है।
- ऐसा माना जाता है कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है।
  - वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, जो अपने **मंत्रिपरिषद** की सलाह से बाध्य है।
  - वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता हैं।
- **अनुच्छेद 157 और 158** राज्यपाल के पद के लिये पात्रता आवश्यकताओं को विनिर्दिष्ट करते हैं
- राज्यपाल को **क्षमादान**, दण्ड-स्थगन आदि देने की शक्ति प्राप्त है (**अनुच्छेद 161**)।
- राज्यपाल को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिये, विवेकाधिकार की कुछ शर्तों को छोड़कर, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति होती है। (**अनुच्छेद 163**)
- राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है (**अनुच्छेद 164**)।
- राज्यपाल विधान सभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है, अनुमति रोक लेता है या राष्ट्रपति के विचार के लिये सुरक्षित रखता है (**अनुच्छेद 200**)।
- राज्यपाल कुछ विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। (**अनुच्छेद 213**)

हरियाणा में किसान फैक्टर

चर्चा में क्यों

हाल ही में, हरियाणा के विधानसभा चुनावों में किसानों में अशांति एक प्रमुख मुद्दा बन गया है, जो राज्य की **कृषि अर्थव्यवस्था** की उभरती गतिशीलता को उजागर करता है

प्रमुख बिंदु

- **कृषि और रोज़गार:** राज्य के **सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन (GSVA)** में कृषि की हिस्सेदारी के मामले में हरियाणा **8वें स्थान** पर है, वर्ष 2022-23 के GSVA आँकड़ों के अनुसार यह **लगभग 18%** है।
  - हालाँकि, कुल कार्यबल में कृषि की हिस्सेदारी के मामले में, **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2022-23** के अनुसार **लगभग 32%**, हरियाणा **15वें स्थान** पर है।
  - समग्र उत्पादन और रोज़गार दोनों में कृषि का अपेक्षाकृत कम हिस्सा होने के बावजूद, **प्रति कृषि श्रमिक** कृषि में सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन (GSVA) के मामले में हरियाणा, **पंजाब के बाद भारत में दूसरे स्थान पर** है।
  - इससे पता चलता है कि भारत के अन्य राज्यों की तुलना में **हरियाणा में कृषि एक महत्त्वपूर्ण उच्च मूल्य वाली गतिविधि** है।
- **हरियाणा के लिये कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण:** **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** के तहत **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO)** द्वारा **स्थिति आकलन सर्वेक्षण** आयोजित किया गया था। यह डेटा मुख्य रूप से वर्ष 2018-19 के सर्वेक्षण से है, जिसमें वर्ष 2021-22 से कुछ अपडेट उपलब्ध हैं।
  - हरियाणा में कुल परिवारों में से लगभग **14.7% कृषि परिवार** हैं।
  - **हरियाणा में कृषि परिवारों** की औसत मासिक आय लगभग **23,000 रुपए** है।
    - कृषि परिवारों की कुल आय का लगभग **48%** हिस्सा कृषि गतिविधियों से आता है।

नोट :

- **हरियाणा में गेहूँ और चावल** जैसी **प्रमुख फसलों की उत्पादकता** उच्च है, तथा उपज प्राय: राष्ट्रीय औसत से अधिक होती है।
- कृषि कार्यबल का एक बहुत बड़ा हिस्सा **मौसमी श्रम और आकस्मिक रोज़गार** में लगा हुआ है

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण

- **परिचय:**
  - यह भारत में रोज़गार और बेरोज़गारी की स्थिति का आकलन करने के लिये **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत NSO** द्वारा किया गया एक सर्वेक्षण है।
  - NSO ने **अप्रैल 2017 में PLFS का शुभारंभ किया।**
- **PLFS का उद्देश्य:**
  - **'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति'** (CWS) में केवल **शहरी क्षेत्रों के लिये तीन महीने के** लघु समय अंतराल में प्रमुख रोज़गार और बेरोज़गारी संकेतकों **(अर्थात श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोज़गारी दर) का अनुमान** लगाना।
  - ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में **'सामान्य स्थिति'** और CWS दोनों में रोज़गार एव्न बेरोज़गारी संकेतकों का वार्षिक अनुमान लगाना।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

चर्चा में क्यों

हाल ही में **हरियाणा** के **मुख्य सचिव ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB)** को प्रदूषण रिपोर्टिंग और अंतर-विभागीय समन्वय बढ़ाने का निर्देश दिया।

मुख्य बिंदु:

- **मासिक प्रदूषण रिपोर्ट: हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB)** के क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों के लिये मासिक **पर्यावरण रिपोर्ट संकलित करने के निर्देश दिये गए हैं।**
- **बोर्ड की विस्तारित भूमिका:** HSPCB, जिसकी स्थापना मूल रूप से **जल प्रदूषण से निपटने के लिये की गई थी , ने वर्ष 1974 में** अपनी स्थापना के बाद से पर्यावरणीय मुद्दों की एक व्यापक शृंखला से निपटने के लिये अपने दायरे का विस्तार किया है ।
- **जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन** : स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने **जैव-चिकित्सा अपशिष्ट** संग्रहण और निपटान का कार्य विभिन्न एजेंसियों को सौंपने का सुझाव दिया तथा कार्यकुशलता के लिये उनके परिचालन क्षेत्र को 75 किलोमीटर से कम रखने का प्रस्ताव रखा
- **वायु गुणवत्ता निगरानी:** सर्दियों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिये, विशेष रूप से NCR में, हरियाणा में:
  - 29 **सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (CAAQMS)** स्थापित किये गए (**NCR** में 21)।
  - **व्यापक वायु गुणवत्ता** निगरानी के लिये राज्य भर में 46 मैनुअल स्टेशन स्थापित किये गए।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

- **भारत सरकार के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974** के पारित होने के बाद जल की स्वच्छता बनाए रखने तथा जल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये वर्ष **1974 में हरियाणा सरकार द्वारा** एक **वैधानिक संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी।**

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)

- CPCB एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन सितंबर, 1974 में **जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974** के तहत किया गया था।
- इसे **वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के अंतर्गत शक्तियाँ प्रदान की गईं एवं कार्य निर्दिष्ट किये गए।
- यह एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है तथा **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के प्रावधानों के संबंध में **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्राल**य को तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है।

हरियाणा विधानसभा में महिलाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व में **लगातार लैंगिक असमानता को उजागर किया**, जो राज्य के ऐतिहासिक लैंगिक असंतुलन को दर्शाता है

प्रमुख बिंदु

- **हरियाणा की राजनीति में महिलाएँ:**
  - वर्ष 1966 में हरियाणा के गठन के बाद से केवल 87 महिलाएँ विधानसभा के लिये चुनी गई हैं।
  - राज्य में कभी भी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं रही।
  - हरियाणा का लिंगानुपात **प्रति 1,000 पुरुषों पर 916 महिलाओं (2023)** पर बना हुआ है।
  - वर्ष 2000 से अब तक हरियाणा में **47 महिला विधायक** चुनी गई हैं।
  - वर्ष 2014 में **13 महिलाओं ने सीटें जीतीं,** जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। वर्ष 2019 में यह संख्या घटकर 9 रह गई।
- **महिलाओं के लिये 33% आरक्षण:** संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने वाला विधेयक हाल ही में पारित हुआ, जो वर्ष 2029 से प्रभावी होगा।
- **वर्ष 2024 में चुनाव लड़ने वाली उल्लेखनीय महिलाएँ:**
  - **आरती सिंह राव :** केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी, अटेली से चुनाव लड़ रही हैं।
  - **श्रुति चौधरी:** पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती, तोशाम से चुनाव लड़ रही हैं।
  - **गीता भुक्कल :** चार बार विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री।
  - **विनेश फोगाट:** कुश्ती आइकन, जुलाना से चुनाव लड़ रही हैं।
  - **सावित्री जिंदल:** एशिया की सबसे अमीर महिला, हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं।
  - **चित्रा सरवारा:** कॉन्ग्रेस से टिकट न मिलने पर अंबाला छावनी से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं।

महिला आरक्षण अधिनियम, 2023

- **संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023**, **लोकसभा, राज्य विधानसभाओं** और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिये एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जिनमें **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों** के लिये आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।
- यह आरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद आयोजित जनगणना के प्रकाशन के बाद प्रभावी होगा तथा 15 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा, जिसका संभावित विस्तार संसदीय कार्यवाही द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- महिलाओं के लिये आवंटित सीटों का रोटेशन प्रत्येक **परिसीमन प्रक्रिया** के बाद संसदीय कानून द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
  - **वर्तमान में, 17वीं लोकसभा (2019-2024) के कुल सदस्यों में से** लगभग 15% महिलाएँ हैं, जबकि राज्य विधानसभाओं में महिलाएँ औसतन कुल सदस्यों का 9% हैं।

भारत निर्वाचन आयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारत निर्वाचन आयोग** ने हरियाणा में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिये अपने प्रयासों को तेज़ कर दिया है, जिसमें अभियान के वित्त की वास्तविक समय निगरानी, मतदाता आउटरीच पहल और **आदर्श आचार संहिता** के सख्त पालन पर ध्यान केंद्रित किया गया है

नोट :

मुख्य बिंदु:

- **भारत का निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI)** एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य की चुनावी प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिये ज़िम्मेदार है।
  - इसकी स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 को (**राष्ट्रीय मतदाता दिवस** के रूप में मनाया जाता है) की गई थी। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है।
- यह निकाय भारत में **लोकसभा**, **राज्यसभा** और **राज्य विधानसभाओं** तथा देश में **राष्ट्रपति** एवं **उपराष्ट्रपति** के पदों के लिये चुनावों का संचालन करता है।
  - इसका राज्यों में **पंचायतों** और **नगर पालिकाओं** के चुनावों से कोई सरोकार नहीं है। इसके लिये भारत के संविधान में अलग से **राज्य निर्वाचन आयोग** का प्रावधान है।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **भाग XV (अनुच्छेद 324-329):** यह चुनावों से संबंधित है और इन मामलों के लिये एक आयोग की स्थापना करता है।
  - **अनुच्छेद 324:** चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा।
  - **अनुच्छेद 325:** किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के लिये अपात्र नहीं ठहराया जा सकता या शामिल होने का दावा नहीं किया जा सकता।
  - **अनुच्छेद 326:** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिये चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे।
  - **अनुच्छेद 327:** विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति।
  - **अनुच्छेद 328:** किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के लिये चुनावों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति।
  - **अनुच्छेद 329:** चुनावों के मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर प्रतिबंध।
- **ECI की संरचना:**
  - मूलत: आयोग में केवल एक निर्वाचन आयुक्त होता था, लेकिन **निर्वाचन आयुक्त संशोधन अधिनियम, 1989** के बाद इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया।
  - निर्वाचन आयोग में **मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC)** और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संख्या (यदि कोई हो) शामिल होगी, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करें।
  - वर्तमान में, इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो **निर्वाचन आयुक्त (EC)** शामिल हैं।
    - राज्य स्तर पर निर्वाचन आयोग को **मुख्य निर्वाचन अधिकारी** द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
- **आयुक्तों की नियुक्ति एवं कार्यकाल:**
  - राष्ट्रपति **CEC और अन्य EC (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023** के अनुसार CEC और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं।
  - उनका कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, निर्धारित है।
  - मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का वेतन एवं सेवा शर्तें **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश** के समतुल्य होंगी।
- **हटाना:**
  - वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाए जा सकते हैं।
  - मुख्य निर्वाचन आयुक्त को **संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश** को हटाने की **प्रक्रिया के समान ही पदच्युत** किया जा सकता है, जबकि निर्वाचन आयुक्तों को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है।
- **सीमाएँ:**
  - संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यताएँ (विधिक, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक) निर्धारित नहीं की गई हैं।

- संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
- संविधान ने सेवानिवृत्त निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी भी अन्य नियुक्ति से वंचित नहीं किया है।

हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएँ

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा में 5 अक्तूबर को होने वाले **विधानसभा** चुनाव से पहले गुड़गाँव में हाल ही में आयोजित एक रैली में केंद्रीय मंत्री ने प्रमुख बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं पर प्रकाश डाला और वर्ष 2024 तक हरियाणा में बनने वाले **राष्ट्रीय राजमार्गों** की तुलना अमेरिका से की।

मुख्य बिंदु

- **वर्तमान एवं आगामी परियोजनाएँ :**
  - **सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने** हरियाणा में **2 लाख करोड़ रुपए** की परियोजनाएँ पूरी की हैं या शुरू की हैं , जिनमें शामिल हैं:
    - **द्वारका एक्सप्रेसवे**
    - **गुड़गाँव-रेवाड़ी राजमार्ग**
    - **मुंबई एक्सप्रेसव**
  - गुड़गाँव और रेवाड़ी के लिये **9 फुट-ओवरब्रिजों** के लिये निविदाएँ अक्तूबर में जारी की जाएंगी और **4 नए फ्लाईओवरों** पर काम दो महीने के भीतर शुरू हो जाएगा।
- **सोनीपत से जींद 352A राष्ट्रीय राजमार्ग:**
  - यह राजमार्ग **सोनीपत और जींद** के बीच यात्रा को आसान बनाएगा। इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है, जिसे दो खंडों में विभाजित किया गया है: **सोनीपत-गोहाना** और **गोहाना-जींद**।
- **जींद-पानीपत राज्य राजमार्ग:**
  - हरियाणा सरकार **केंद्रीय सड़क निधि योजना** के तहत इस राजमार्ग पर **170 करोड़ रुपए** व्यय कर रही है। इससे जींद और पानीपत के बीच यात्रा करने वाले यात्री लाभान्वित होंगे।
- **152D राष्ट्रीय राजमार्ग:**
  - जब राजमार्ग का निर्माण पूरा हो जाएगा तो **जींद से अंबाला और चंडीगढ़** तक पहुँचने में तीन या चार घंटे की बजाय दो घंटे लगेंगे तथा इससे दिल्ली एवं राजस्थान से भी संपर्क बेहतर होगा।
- **रोहतक-जींद और नरवाना राष्ट्रीय राजमार्ग 352:**
  - यह राजमार्ग, जो अब पूरा हो चुका है, **जींद से रोहतक, दिल्ली और पंजाब** तक की यात्रा को सरल बनाता है।
- **पानीपत-डबवाली राष्ट्रीय राजमार्ग:**
  - यह आगामी परियोजना करनाल, जींद, पानीपत, फतेहाबाद और सिरसा को जोड़ेगी, जिससे जींद से सिरसा तक यात्रा सरल हो जाएगी।
- **जम्मू-कटरा और दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग:**
  - वर्तमान में NHAI द्वारा निर्माणाधीन यह राजमार्ग जींद के पिलूखरा से होकर गुज़रेगा, जिससे जम्मू, दिल्ली और जींद के बीच संपर्क बढ़ेगा और आसपास के क्षेत्रों में यातायात कम होगा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India- NHAI)

- इसकी स्थापना **NHAI अधिनियम, 1988** के तहत की गई थी। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- इसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के साथ-साथ विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिये अन्य छोटी परियोजनाओं का कार्य भी सौंपा गया है।

नोट :

- **राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (National Highways Development Project- NHDP)** भारत में प्रमुख राजमार्गों को उच्च स्तर तक उन्नत, पुनर्वासित और चौड़ा करने की एक परियोजना है। यह परियोजना वर्ष 1998 में शुरू की गई थी।
- NHAI **राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को वैश्विक मानकों** और लागत प्रभावी तरीके से बनाए रखता है तथा लोगों की आर्थिक भलाई तथा जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है।

36 बिरादरी

चर्चा में क्यों?

हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक दल "**36 बिरादरी**" शब्द का प्रयोग काफी करने लगे हैं, जो विभिन्न जाति समूहों के प्रति उनके समर्थन को दर्शाता है।

मुख्य बिंदु:

- **बिरादरी का अर्थ:**
  - यह शब्द फारसी शब्द *बरादर* से लिया गया है , जिसका अर्थ है "**भाईचारा" या "कबीला।"**
  - उत्तर भारत में बिरादरी को प्रायः जाति का पर्यायवाची माना जाता है, यद्यपि ***कौम या जाट*** जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है।
- **'36 बिरादरियों' की उत्पत्ति:**
  - "36 बिरादरी" वाक्यांश शाब्दिक नहीं है; यह आमतौर पर विभिन्न जाति समूहों को संदर्भित करता है।
  - ऐतिहासिक स्रोत, जैसे **अजमेर-मेवाड़ गज़ेटियर और लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड के लेखन,** मध्यकालीन उत्तर भारत में 36 राजवंशों या समुदायों का उल्लेख करते हैं।
- **सामाजिक भूमिका:**
  - बिरादरी विस्तृत परिवार के समान होती है तथा विवाह, जातिगत विवादों और सामाजिक पहचान में भूमिका निभाती है।
  - यह अवधारणा विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में एकता एवं सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देती है।

राष्ट्रीय दल

- **परिचय:** क्षेत्रीय दल के विपरीत, जो एक ही राज्य या क्षेत्र तक सीमित होती है, राष्ट्रीय दल का दायरा राष्ट्रव्यापी है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है।
  - राष्ट्रीय दल होना कभी-कभी एक विशिष्ट स्थिति से जुड़ा होता है, हालाँकि यह हमेशा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय राजनीतिक प्रभाव में परिवर्तित नहीं होता है।
- **किसी दल को 'राष्ट्रीय' घोषित करने की शर्तें:**
  - **ECI की राजनीतिक दल और चुनाव चिह्न, 2019 पुस्तिका** के अनुसार , किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल माना जाएगा यदि:
    - इसे चार या अधिक राज्यों में 'मान्यता' प्राप्त है।
    - यदि उसके उम्मीदवारों ने **कम से कम 4 राज्यों** में कुल वैध मतों का कम से कम 6% वोट हासिल किया हो (नवीनतम **लोकसभा** या विधानसभा चुनावों में) और दल के पास पिछले लोकसभा चुनावों में कम से कम 4 सांसद हों।
    - यदि उसने **कम से कम तीन राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम से कम 2% सीटें** जीती हों।

राज्य स्तरीय दल

- किसी दल को राज्य में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है:
    - यदि वह संबंधित राज्य विधान सभा के लिये आम चुनाव में राज्य में डाले गए **वैध मतों में से 6% मत** प्राप्त कर लेता है, तथा साथ ही, वह उसी राज्य विधानसभा में **2 सीटें** भी जीत लेता है।
    - यदि वह राज्य में लोकसभा के आम चुनाव में **कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर ले** ; तथा उसी **राज्य से लोकसभा में एक सीट** भी जीत ले।
    - यदि वह संबंधित राज्य की विधानसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में **विधानसभा में 3% सीटें जीतता है, या विधानसभा में 3 सीटें** जीतता है **(जो भी अधिक हो)।**
    - यदि वह संबंधित राज्य से **लोकसभा के लिये** होने वाले आम चुनाव में राज्य को आवंटित **प्रत्येक 25 सीटों** या उसके किसी अंश में से **1 सीट** जीतता है।
    - यदि उसे **राज्य से लोक सभा या राज्य लोक सभा के लिये होने वाले आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8%** प्राप्त हो जाए।

हरियाणा चुनावों से पहले डेरा प्रमुख ने पैरोल की मांग की

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पूर्व 20 दिन की पैरोल की मांग की है, जिससे चुनावी संदर्भ में कई प्रश्न उठने लगे हैं।

मुख्य बिंदु

- **पैरोल अनुरोध :**
    - दो महिला शिष्यों के बलात्कार के लिये 20 वर्ष की सज़ा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख ने **5 अक्तूबर, 2024** को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से **पहले 20 दिन की पैरोल का अनुरोध किया है।**
    - डेरा प्रमुख को 13 अगस्त, 2024 को उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित अपने डेरा में रहने के लिये 21 दिन का **अवकाश (Furlough) दिया गया था।**
    - चूँकि चुनाव के लिये आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिये राज्य सरकार ने उनके अनुरोध को परामर्श के लिये **मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO)** के पास भेज दिया है।
    - CEO ने हरियाणा सरकार से चुनाव अवधि के दौरान पैरोल अनुरोध को उचित ठहराने वाली आकस्मिक और बाध्यकारी परिस्थितियाँ बताने को कहा है।
    - **निर्वाचन आयोग** के दिशा-निर्देशों में पैरोल के लिये अनुमोदन अनिवार्य नहीं है, लेकिन चुनाव अवधि के दौरान असाधारण मामलों में CEO से परामर्श की आवश्यकता होती है।
- **उच्च न्यायालय में पिछली चुनौतियाँ:**
    - डेरा प्रमुख को बार-बार पैरोल और अवकाश/ फर्लो (Furloughs) दिये जाने को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।
    - अगस्त 2024 में, फर्लो पर उनकी रिहाई को **शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC)** ने चुनौती दी थी, लेकिन न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया और निर्णय हरियाणा जेल विभाग पर छोड़ दिया।
    - उच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि ऐसे मामलों में निर्णय "मनमानेपन या पक्षपात" के बिना लिये जाने चाहिये।

नोट :

पैरोल और फर्लो

- **पैरोल:**
  - यह सज़ा को निलंबित करके कैदी को रिहा करने की प्रणाली है।
    - रिहाई **सशर्त होती है,** आमतौर पर व्यवहार के अधीन होती है और एक निश्चित अवधि के लिये अधिकारियों को समय-समय पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है
  - पैरोल **एक अधिकार नहीं है, और यह किसी कैदी को किसी विशिष्ट कारण से दिया जाता है,** जैसे परिवार में मृत्यु या रक्त संबंधी की शादी
  - किसी कैदी को पर्याप्त कारण बताने के बाद भी उसे रिहा करने से इनकार किया जा सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि दोषी को रिहा करना समाज के हित में नहीं होगा।
- **अवकाश/ फर्लो (Furlough):**
  - यह पैरोल के समान है, लेकिन इसमें कुछ महत्त्वपूर्ण अंतर हैं। यह लंबी अवधि के कारावास के मामलों में दिया जाता है।
  - किसी कैदी को दी गई छुट्टी की अवधि को **उसकी सज़ा में छूट के रूप में माना जाता है।**
  - पैरोल के विपरीत, फर्लो को **कैदी का अधिकार माना जाता है,** जिसे किसी भी कारण से समय-समय पर प्रदान किया जाता है और यह केवल कैदी को पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में सक्षम बनाता है तथा जेल में लंबे समय तक रहने के दुष्प्रभावों का सामना करने में सहायता करता है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कमी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की कमी और नियुक्तियों में देरी के कारण न्यायिक संकट का सामना कर रहा है।

मुख्य बिंदु

- **न्यायाधीशों की कमी** :
  - पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय **स्वीकृत 85 न्यायाधीशों के** स्थान पर केवल **54 न्यायाधीशों** के साथ कार्य कर रहा है, जिसके कारण **31 न्यायाधीशों की कमी हो गई है** ।
  - नवंबर 2022 के बाद से कोई नई नियुक्ति नहीं की गई है।
  - वर्ष 2025 तक 5 और न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाएंगे तथा वर्ष 2024 तक 2 की सेवानिवृत्त होने की आशा है।
- **लंबित मामले** :
  - न्यायालय के समक्ष **4,33,253 मामले लंबित हैं,** जिनमें 1,61,362 आपराधिक मामले जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित हैं।
  - सभी लंबित मामलों में से **26% (1,12,754) 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं।**
- **पदोन्नतियाँ और नियुक्तियाँ** :
  - ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश की श्रेणी से 15 न्यायाधीश पदोन्नति के पात्र हैं, लेकिन नियुक्तियाँ लंबित हैं।
  - यह देरी लगभग आठ महीने तक नियमित मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण हुई।
- **केंद्र सरकार और कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित मुद्दे** :
  - सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम **ने** एक वर्ष पहले पाँच **वकीलों** की पदोन्नति की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र ने केवल तीन नियुक्तियों को अधिसूचित किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी सिफारिश दोहराए जाने के बावजूद दो नियुक्तियाँ लंबित हैं।

- **जटिल नियुक्ति प्रक्रिया :**
  - नए नामों की सिफारिश की जाने पर भी नियुक्ति प्रक्रिया अपनी जटिलताओं के कारण धीमी हो जाती है। इन **सिफारिशों को राज्य सरकारों, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्रीय कानून मंत्रालय** से गुज़रना आवश्यक होता है, **अंततः राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है।**

उच्च न्यायालय (HC) के न्यायाधीशों की नियुक्ति

- **संविधान का अनुच्छेद 217:** इसमें कहा गया है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)**, **राज्य के राज्यपाल** के परामर्श से की जाएगी ।
  - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किये बिना किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जाती है, सिवाय मुख्य न्यायाधीश के।
- **परामर्श प्रक्रिया:** उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले **कॉलेजियम** द्वारा की जाती है।
  - हालाँकि, यह प्रस्ताव संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से प्रस्तुत किया जाता है।
  - सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो राज्यपाल को प्रस्ताव केन्द्रीय कानून मंत्री को भेजने की सलाह देते हैं।
  - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्यों के बाहर से मुख्य न्यायाधीश रखने की नीति के अनुसार की जाती है।
  - पदोन्नति पर निर्णय कॉलेजियम द्वारा लिया जाता है।
- **तदर्थ न्यायाधीश:** सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 224A के अंतर्गत किया गया है।
  - इस अनुच्छेद के तहत, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रह चुके किसी व्यक्ति से उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों से निपटने के लिये **सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति** पर ज़ोर दिया।
  - इसमें तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति और कार्यप्रणाली के लिये भावी दिशा-निर्देशों को मौखिक रूप से रेखांकित किया गया।
- **कॉलेजियम प्रणाली:**
  - यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, न कि **संसद** के अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा।
- **प्रणाली का विकास:**
  - **प्रथम न्यायाधीश मामला (वर्ष 1981):** इसने घोषणा की कि न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरणों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की सिफारिश की "प्राथमिकता" को "ठोस कारणों" से अस्वीकार किया जा सकता है।
    - इस निर्णय से अगले 12 वर्षों तक न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका को न्यायपालिका पर प्राथमिकता मिल गयी।
  - **द्वितीय न्यायाधीश मामला (वर्ष 1993):** सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें कहा गया कि "परामर्श" का वास्तविक अर्थ "सहमति" है।
    - इसमें कहा गया कि यह मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से बनाई गई संस्थागत राय है।
    - **तृतीय न्यायाधीश मामला (वर्ष 1998):** राष्ट्रपति के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम को पाँच सदस्यीय निकाय में विस्तारित कर दिया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगी शामिल थे (उदाहरण के लिये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिये)।

नोट :